पर्यावरणीय इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर द्वारा तैयार की गई पर्यावरणीय प्रबंध योजना को लागू किया है।

(घ) स्मैल्टर के आधुनिकीकरण के संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच कार्य को तेजी से करवाने के लिए संसदीय समिति के शिष्टमंडल द्वारा दिए गए सुझाव को लागू कर दिया गया है।

**New Technology for Purifying Waste Water**

1062. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Houseman Ltd. U.K. and an Indian Company, M/s. Aquafarm Chemicals Ltd., Pune, have developed a new technology of purifying the waste water; and

(b) if so, whether Government will make the use of this technology mandatory for habitual water polluting industries which has affected the use of potable water especially in rural India?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI BUBULAL MARANDI): (a) and (b) No information about the new technology of purifying the waste water has been made available by the company to the Maharashtra Pollution Control Board and the Ministry of environment & forests. As a matter of policy, the Ministry of environment & Forests normally does not prescribe any proprietry technology of a particular company. Industries are required to conform to the prescribed environmental standards by adopting suitable treatment technology.

**कार्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य में जहर देकर बाघों को मारा जाना**

1063. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कार्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य में वहां के अधिकारियों की मिलीभगत से बाघों को जहर देकर मारने की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो एक वर्ष में इस प्रकार से मारे गए बाघों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या यह सच है कि बाघों की खालों की विश्व बाजार में भारी मांग है और इनकी बहुत ऊंची कीमत मिलती है;

(घ) क्या बाघों की खालों के अवैध व्यापार में अभ्यारण्य के अधिकारियों की मिलीभगत की बातें चर्चा में हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबूलाल मरांडी):** (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले एक वर्ष के दौरान कार्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य के बाहर दो बाघों को जहर देकर मारने की घटनाएं सूचित की गई हैं। तथापि, इन घटनाओं में अभ्यारण्य के किसी भी अधिकारी की मिलीभगत देखने में नहीं आई है।

(ग) जी, हां, विश्व बाजार में बाघ के शरीर के अंगों की भारी मांग के बारे में कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

(घ) जी, नहीं। बाघ की खालों के अवैध व्यापार में अभ्यारण्य के किसी अधिकारी की मिलीभगत का कोई संयुक्त नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**Legislation to Protect Bio-Diversity**

1064. SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government are bringing in a legislation to protect our bio-diversity;

(b) whether this legislation is in conformity with that drafted by the previous regime;

(c) if so, what are its major similarities, and

(d) if not, how does it differ from the previous draft?

242RS-2R